

क्रमांक (Sl. No.)

अनुक्रमांक (Roll No.)

V1176868
71/1085/7138586

1855085

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश
Board of High School and Intermediate Education U.P.



हाई स्कूल परीक्षा - २००५
High School Examination - 2005



प्रमाणित किया जाता है कि परिषद के अभिलेखानुसार
 This is to certify that according to the Board's record

VIJAY NATH

आत्मल/आत्मजा श्रीमती (son/daughter of Mrs.)

SAMPATA DEVI

एव (and Mr.)

BABU RAM

के जिनकी जन्म तिथि (whose date of birth is)

6TH JUNE NINETEEN HUNDRED NINETY ONE (06-06-91)

माघ/अप्रैल वर्ष २००५ की हाईस्कूल की परीक्षा निम्न विवरणानुसार उत्तीर्ण की है :-
 has passed High School Examination held on March/April-2005 according to the following details :-

चयनित विषय (Name of the opted subjects) :

- 1-HINDI 2-ENGLISH 3-ELE MATHEMATICS**
4-SCIENCE 5-SOCIAL SCIENCE 6-DRAWING

शैक्षिक, खेल एव शारीरिक शिक्षा की श्रेणी (Category of Moral, Sports & Physical Education) -- **A**

उत्तीर्ण श्रेणी (Division) - **SECOND**

विद्यालय/केंद्र (School/Centre) - **B R INTERMEDIATE COLLEGE HARRAIYA BASTI**

प्रमाणपत्र क्रमांक (Certificate No.) संख्या/व्यक्तिगत (Reg./Pvt.) दिनांक व स्थान (Date & Place)

7107013

REGULAR

27TH MAY, 2005

Allahabad

(वासुदेव यादव)

(Basudev Yadav)

सचिव (Secretary)

D indicates Distinction in that particular subject.
 HONOURS indicates creditable "passus with honours"
 Note: For Important Instructions see overleaf.



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

बस्ती
हरैया
201850030097130
552203023530

जारी दिनांक: 18/12/2020



प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

विजयनाथ
स्व० बाबूराम
सम्पत्ता
,महूघाट पोस्ट हरैया
महूघाट
हरैया
बस्ती

उत्तर प्रदेश राज्य की कुर्मी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विजयनाथ पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३० प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास घन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: राहुल पटेल, सहज अनुसूचित केंद्र
पद: राहुल पटेल, केन्द्र प्रमुख
स्थान:
KISHANPUR, हरैया, किशुनपुर, हरैया, हरैया
दिनांक: 20/12/2020

Digitally Signed by
CHANDRA
BHUSHAN
PRATAP
O=Personal,
S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
हरैया, बस्ती
दिनांक: 18/12/2020

हस्ताक्षर एवं मुहर
यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर में हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edisbrcit.up.gov.in> पर दृष्टका पढ़ने आवेदन क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।